न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34/2017 नामान्तरकरण अपील

1. सुमन पुत्री छोगालाल पत्नि मुकेश कुमार जाति मीना निवासी ग्राम डूंगरपुर हाल वासी मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा **अपीलान्ट**

बनाम

1. सीमा देवी उर्फ हेमा पत्नि स्व. प्रमोद जाति मीना निवासी डूंगरपुर तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
3. उप पंजीयक रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अ.धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण सं. 617 तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 06.11.2017

उपस्थिति :– 1. श्री अविनाश नागर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री कैलाश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।

दिनांक: 24 .08.2018

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के पिता छोगालाल का देहान्त होने पर छोगालाल की पत्नि बसंन्ती व तीन पुत्र प्रमोद, विनोद, रोशन के नाम ही नामान्तरकरण कर दिया गया और अपीलान्ट जो छोगालाल की पुत्री है उसके नाम नामान्तरकरण नही किया गया। छोगालाल की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सं. 285 ग्राम पंचायत डूंगरपुर ने तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। इस दौरान अपीलान्ट के भाई प्रमोद का देहान्त हो गया। उसकी विरासत का नामान्तरकरण सं. 617 तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा बिना जांच किये ही विधि विरूद्ध स्वीकार कर लिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पिता के जीवन काल से ही है, और मनबट से विभाजन कर अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रही है। अपीलान्ट के पिता छोगालाल के पांच वारिस होने से अपीलान्ट का 1/5 वा भाग होना स्पष्ट है। जबकी नामान्तरकरण सं. 285 में अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण न करने के कारण रिकार्ड में गलत इन्द्राज चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने जब पहले से ही अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में पेश कर रखी है। तो

अति० जिला कलक्टर
दौसा

उसके निर्णय तक इस अपील की कार्यवाही स्थगित रखना कानूनन न्यायचित आवश्यक है या नामान्तरकरण सं. 285 के विरूद्ध की गई विचाराधीन अपील के पश्चात इस नामान्तरकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। इसलिए यह नामान्तरकरण सं. 617 गलत है व निरस्तनीय है। विरासत का नामान्तरकरण करते समय सजरा बनाना व सम्बन्धित उत्तराधिकारियों एवं अन्य आपत्ति कर्ताओं को नोटिस देना कानूनन आवश्यक है। बल्कि सावर्जनिक इश्तेहार भी जारी करना उचित है। ताकि प्रभावित व्यक्ति अपनी आपत्ति पेश कर सके। किन्तु तहसीलदार ने अपीलान्ट को जो मृतक की खास बहिन है को नोटिस जारी नही किया व सुनवाई का अवसर नही दिया। मीना समाज में हिन्दू सक्सेशन एक्ट लागू नही होता है और कस्टमरी लॉ अनुसार विरासत होती है। कस्टमरी कानून के तहत पत्नि एवं पुत्री बहिन आदि सभी को उनके हिस्से की भूमि दी जाती है। जबकी विचाराधीन प्रकरण में अपीलान्ट को उसके पिता की भूमि में से उसका हिस्सा नही दिया गया तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण 617 सीमा देवी पत्नि प्रमोद के नाम तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट अपने पिता के सम्पति में हिस्से अनुसार नामान्तरकरण कराने की अधिकारी है। इसलिए प्रगश्नगत नामान्तरकरण सं. 617 दिनाकं 06.11.2017 निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. **2005 (1) RRT Page 115**
2. **2005 (1) RRT Page 665**
3. **2011-12 (Supp.) RRT Page 657**
4. **2009 (2) RRT Page 1225**
5. **2003 (1) RRT Page 596**
6. **1957 RRD Page 238**
7. **1982 RRD Page 332**
8. **1982 RRD Page 333**
9. **1988 RRD Page 61**
10. **1966 RRD Page 71**
11. **1981 RRD Page 361**
12. **2011-12 (Supp.) RRT Page 66**
13. **2011-12 (Supp.) RRT Page 2015**

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा एक ओर यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि मीना जाति में हिन्दू उत्तराधिकारी नियम लागू नही होता है। कस्टमरी परम्परा के अनुसार विरासत होती है। जिसके तहत पत्नि को विरासत द्वारा कोई अधिकार नही होना व्यक्त किया गया है। दूसरी ओर इसी नामान्तरकरण से सम्बन्धित इसी न्यायालय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण सुमन बनाम सीमा देवी में प्रस्तुत अपील में यह अंकित किया है कि कस्टमरी कानून के तहत पत्नि एवं पुत्री बहिन आदि सभी को उनके हिस्से की भूमि दी जाती है। विरोधाभासी तथ्य यह है कि प्रकरण में मृतक प्रमोद की पत्नि के नाम नामान्तरकरण खोले जाने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है कि मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री सुमन को उत्तराधिकारी नही बनाये जाने पर ग्राम पंचायत डूंगरपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 285 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में अपील पेश की गई है जो विचाराधीन है। मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रमोद कानूनन उत्तराधिकारी है एवं प्रमोद की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नि सीमा

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देवी उसकी उत्तराधिकारी इस प्रकार विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने में किसी प्रकार की त्रृटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा येनकेन प्रकारेन अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान का विधिसम्मत सजरा तैयार नही होने के कारण से पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हुए हैं। जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में अपील विचाराधीन होना भी स्वीकार किया है। मूल नामान्तरकरण सं. 617 का अवलोकन करने पर स्वीकृत दिनांक भी स्पष्ट रूप से अंकित नही की गई है। इसके अतिरिक्त मृतक खातेदार के विधिक वारिसान का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है। अतः प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 617 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार नियम एवं कस्टमरी कानून के परिपेक्ष में प्रकरण का परीक्षण कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा मृतक छोगालाल के वारिसान का विधिसम्मत सजरा तैयार करवाया जाकर, उभयपक्षकारान द्वारा कथित मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत डूंगरपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 285 की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन अपील के सम्बन्ध में जानकारी कर तद्नुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा